स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./26

दिनांक : 09.04.2021

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 09.04.2021 को दोपहर 1.30 बजे शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई।

पूर्व बैठक में कोषाध्यक्ष द्वारा परिषद का दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक का आय–व्यय का विस्तृत ब्यौरा पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है।

बैठक में परिषद् के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदों की Cadre Strength में कनिष्ठ विधि अधिकारी सम्मिलित होने पर 3 प्रतिशत अनुसार भिजवाई गयी पत्रावली को वित्त विभाग से सकारात्मक रूप से कार्यवाही हेतु सामूहिक प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. वर्ष 2021–22 की वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में जिन कनिष्ठ विधि अधिकारीगण का नियमानुसार वांछित कार्यानुभव 4 वर्ष ही हुआ है, उन्हें पदोन्नति दिलाये जाने हेतु कार्यानुभव में 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान करने हेतु विधि विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को पत्रावली भेजे जाने बाबत प्रमुख शासन सचिव, विधि को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।
3. विधि अधिकारियों को पदोन्नति हेतु वर्ष 2021 की विभागीय पदोन्नति समिति के शीघ्र आयोजन के संबंध मे विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि इस बाबत् विधि विभाग से अनुरोध किया जावे तथा जल्द से जल्द डी.पी.सी. आयोजित कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जावें।
4. लिटिगेशन पॉलिसी 2018 की कियान्विति के संबंध में सभी विभागों में Legal Cell स्थापित करने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की ओर से जारी निर्देशों की पालना में

विचार–विमर्श किया गया और यह तय किया गया कि उक्त परिपत्र के अनुसरण में विभिन्न विभागों में पदस्थापित विधि सेवा के अधिकारीगण विधि प्रकोष्ठ की परिपूर्णता सुनिश्चित कराने हेतु संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी एवं अन्य अपेक्षित पदों के सृजन हेतु अपने–अपने विभागों के प्रस्ताव शीघ्र ही विधि विभाग को भिजवावें।

5. कोविड–19 के कारण परिषद द्वारा वर्ष 2021 में सदस्यता शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है तथा परिषद का इस अवधि में व्यय भी कम हुआ है इसलिए आय व्यय का ब्यौरा आगामी कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाने के संबंध में विचार–विमर्श के पश्चात उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
6. कोविड–19 के कारण स्थगित सेवानिवृत होने वाले अधिकारीगण के विदाई समारोह का पुनः सुचारू रूप से छोटे स्तर पर जारी रखने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
7. नवागन्तुक कनिष्ठ विधि अधिकारीगण के साक्षात्कार के परिणाम की विधिक अडचन को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 7.4.2021 द्वारा परिणाम पर स्थगन के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए शीघ्र परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए उनकी शीघ्र नियुक्ति/पदस्थापन कराने की कार्यवाही बाबत परिषद् की ओर से विधि विभाग को ज्ञापन दिये जाने की सहमति पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
8. राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा विधि अधिकारीगणों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु विधि विभाग को अभ्यावेदन पूर्व में प्रस्तुत किया हुआ है। प्रमुख शासन सचिव महोदय से चर्चा करके प्रशिक्षण के संबंध में पुनः प्रयास किये जाने का निर्णय लिया तांकि नव आगन्तुक कनिष्ठ विधि अधिकारीगणों को भी कार्यग्रहण पश्चात प्रशिक्षण दिलाया जा सके।
9. वर्तमान में वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर सेवा नियमों में 5 वर्ष का कार्यानुभव को कम करके 3 वर्ष किये जाने हेतु नियमों में संशोधन हेतु अभ्यावेदन दिये जाने का निर्णय लिया है।
10. वर्तमान में विधि सेवा अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त पदस्थापन आदेश में विलम्ब होने से पदोन्नत अधिकारियों को वित्तीय हानि उठानी पडती है। अतः विधि विभाग से पदोन्नत अधिकारियों को पदोन्नत मानते हुए, कार्यरत पदो पर ही पदोन्नति दिनांक से वित्तीय लाभ उपलब्ध कराने हेतु अभ्यावेदन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
11. विधि विभाग में विधि सेवा के संस्थापन संबंधी कार्यों के लिए संयुक्त विधि परामर्शी की नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन देने का निर्णय लिया गया है।

12. वर्तमान में रूपये 7600/– एवं उसके अधिक की ग्रेड–पे के अधिकारियों के लिए राजकीय वाहन उपलब्ध कराने का परिपत्र होने की जानकारी दी गयी है। अतः इस परिपत्र के कम में संयुक्त विधि परामर्शी एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के कार्यालय उपयोग हेतु राजकीय वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु अभ्यावेदन देने का निर्णय लिया गया है।
13. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नियमों में प्रावधान के अनुसार बोर्ड में विधि सेवा के पद निदेशक, विधि एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन, देने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी के बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपिः प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महासचिव